न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 94/2025

उनवान

गोरधन पुत्र मिश्री जाति जाट निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :– जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 28/11/25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प.म. सनोद के वंर्किग खसरा नम्बर 3528 के हाल खसरा नम्बर 5370 रकबा 0.59, 3594 के हाल खसरा नम्बर 5043/6699 रकबा 1.18 के मूल खातेदार फूला पुत्र घीसा द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 24.08.1979 को दान पत्र निष्पादित कराया था। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी में से हाल खसरा नम्बर 5043/6699 रकबा 1.18 में गोरधन पुत्र मिरी के स्थान पर गोरधन पुत्र फूला गलत अंकन कर दिया गया। हाल खसरा नम्बर 5370 रकबा 0.59 पर वादी का नाम अंकित नही किया गया। दानकर्ता फूला पुत्र घीसा की नाऔलाद मृत्यु हो गयी है। आराजी मुतनाजा के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादी द्वारा आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी की जा रही है। अतः आराजी मुतनाजा का त्रुटिपर्ण इन्द्राज दुरूस्त कर वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण का कोई खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व दान पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम सनोद के वंर्किग खसरा नम्बर 3528 व 3594 व अन्य आराजी फूला पुत्र घीसा में अपने सगे भाई के लडके गोरधन पुत्र मिश्री को जरिये पंजीबद्व दान पत्र हस्तांतरित की थी। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी फूला पुत्र घीसा के नाम ही दर्ज है। हाल राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 5370 रकबा में वादी का नाम दर्ज नही कर फूला पुत्र घीसा का नाम अंकित कर दिया तथा हाल खसरा नम्बर 5043/6699 रकबा 1.18 में वादी का नाम गोरधन पुत्र मिश्री के स्थान पर गोरधन पुत्र फूला अंकित कर दिया जबकि वादी के पिता का नाम मिश्री है। वादी को जरिये पंजीबद्व दान पत्र प्राप्त हुई है। पंजीबद्व दान पत्र की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। वादी दानकर्ता फूला पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:48 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

का भतीजा है। हाल इन्द्राज दान पत्र व साबिक राजस्व अभिलेख अनुसार त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः ग्राम व प.म. सनोद के हाल खसरा नम्बर 5370 रकबा 0.59 व 5043/6699 रकबा 1.18 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:48 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

गोरधन बनाम सरकार

दावा बाबत :—88, 188, राज. का. अधि0 1955, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 94/2025
पेश करने की दिनांक — 14.5.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)--व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजानिब मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम व प.म. सनोद के हाल खसरा नम्बर 5370 रकबा 0.59 व 5043/6699 रकबा 1.18 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28 माह । सन् 2025 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	

मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद